के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की गई अनुमति संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में शहरी विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) पूर्वनिर्मित भवनों में और मंजिलों के निर्माण की अनुमति मास्टर प्लान दिल्ली 2001 जोनल विकास योजनाओं के तहत निर्धारित विकास नियंत्रण मानदण्डों और भवन उपनियमों के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है इस बाबत अलग से कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि गत तीन वर्षो के दौरान उनके द्वारा उपरोक्त प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गयी।

दिल्ली छावनी बोर्ड ने दो मामलों में पहली मंजिल के निर्माण हेतु अनुमति दी है। नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण से ब्यौरे आने हैं।

डाक्टर पर होने वाला व्यय

2511. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी कालेजों में एक एम.बी.बी.एस. और एम.डी. छात्र पर कितना खर्च किया जाता है,

(ख) इस खर्च का कितना भाग विद्यार्थी से वसूल किया जाता है,

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान इनमें से कितने डाक्टर भारत से बाहर चले गये हैं, और

(घ) क्या सरकार, सरकारी मेडिकल कालेजों से पढ़कर निकलने वाले डाक्टरों के लिए कतिपय अवधि तक ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में काम करने की शर्त लगाने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) और (ख) भारतीय आर्युविज्ञान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सरकारी चिकित्सा कालेजों में चिकित्सा शिक्षा की लागत स्नातक स्तर पर प्रति छात्र 74 हजार रुपये से 1.78 लाख रु0 प्रतिवर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति छात्र 71 हजार रुपये से 1.46 लाख रु0 प्रति वर्ष के बीच है। इन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से ली जा रही फीस अति साधारण है।

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान विदेश गए डाक्टरों की संख्या नीचे दी गई है:-

1992	5949
1993	5989
1994	आंकड़ों का अभी संकलन नहीं किया गया।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि विशिष्ट अवधि के लिए गांव में पोस्टिंग को अनिवार्य तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पहले पूर्वापेक्षित भी बनाया जाए।

मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए पूंजी निवेश

2512. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विदेशी पूंजी-निवेश संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का जिला-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) अब तक कितने प्रस्तावों को अनुमोदित तथा कार्यान्वित किया गया है,

(ग) क्या सरकार द्वारा अदिवासी क्षेत्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ड़) अनुमोदित प्रस्तावों के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ड़) गत तीन वर्षो के दौरान, 1993 से अक्टूबर, 1995 के अंत तक मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्राप्त तथा अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (**नीचे देखिये**)

परियोजना का क्रियान्वयन फलारंभ काल पर निर्भर करता है जो एक परियोजना से दूसरी परियोजना के मामले में बदलता रहता है। वास्तविक रूप से क्रियान्वित किये गये प्रस्तावों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विदेशी निवेशों के अनुमोदन नई औद्योगिक नीति के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं। किसी परियोजना की स्थाना स्थल उद्यमी की परख तथा निर्णय पर निर्भर है।

विवरण

मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहयोग अनुमोदनों की सूची

क्र. सं.	अनुमोदन संख्या अनुमोदन तिथि (प्रकार/एजेंसी)	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	राशि (% इविटी) (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5
1.	29.6.94 [एफ.आई.पी.बी. (ईसी)]	86 साउथ एशियन मशरूम लि. 44, जोन-2, एम.पी.नगर, 8 भोपाल – 462011(मध्य प्रदेश)	मैकन एग्री0 लिमिटेड उत्तरी आयरलैंड	70.00 (5.83%)
मद विवरण :रायसेन (मध्य प्रदेश) में बाइट बटन खुमी की खेती तथा प्रसंस्करण ।				
2.	28.9.94 [(एफ.आई.पी.बी. (ईसी)]	145 विशाल एग्रीटेक इंडिया लि. 13 सीताबाग कालोनी, इन्दौर-452003 मध्य प्रदेश	मैकोन एग्री लि. नार्दन आयरलैंड आयलैंड	74.25 (9.00%)
मद विवरण : इंदौर (मध्य प्रदेश) में डिब्बों में बाइट बटन खुमी की खेती तथा प्रसंस्करण ।				
3.	19.4.95 (एम.यू.सी.सी.)	105 रसील एग्रोटेक प्रा. लि. यू.जी. 10-11 सिटी प्लाजा, एम.जी. रोड, इन्दौर	मैकोन एग्री लि. नार्दन आयरलैंड आयरलैंड	287.24 (29.06%)
मद विवरण : इन्दौर (मध्य प्रदेश) में साइट्रिक अम्ल तथा नमक-जल में ताजी संरक्षित की गई वाइट बटन खुमी ।				
4.	29.5.95 (एफ.आई.पी.बी.(ईसी)	207 इन्डो इरीस फूड्स लि. श्री टावर, 114, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)	मैकोन एग्री लि. नार्दन आयरलैंड आयरलैंड	200.00 (20.00%)
मद विवरण : भोपाल (मध्य प्रदेश) में डिब्बा बंद वाइट बटन खुमी की खेती तथा प्रसंस्करण ।				
5.	24.3.94 (एफ.आई.पी.बी. (ईसी)	56 आलपिन बायोटेक लि. 10/11 , यशवन्त निवास, इन्दौर-452003 (म.प्र.)	दलसेम वैकियम एग्रो इण्ड0 नीदरलैंड नीदरलैंड	53.46 (9.00%)
मद विवरण : देवास (मध्य प्रदेश) में बटन खुमी ।				

1	2	3	4	5
6.	11.10.94 (एफ. आई.पी.बी. (ईसी)	147 करण मल्टीलायर फिल्म लि., आरओ 59, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)	दलसेम वैकियम बी.वी. नीदरलैंड नीदरलैंड	74.25 (5.81%)

मद विवरण : भोपाल (मध्य प्रदेश) में सिरका अथवा एसिटिक अम्ल के अलावा अन्य चीजों से तैयार अथवा संरक्षित खुमी ।

7.	22.10.93 (एफ.आई.पी.बी. (ईसी)	474 मध्य प्रदेश ग्लाइकेम इण्ड0 12/8, न्यू पालसिया, इन्दौर	एन.आर.आई.	100.00 (8.00%)

मद विवरण : नरसिंह पुर (मध्य प्रदेश) में सोयाबीन से निकाला गया तेल ।

8.	1.11.93 (एफ.आई.पी.बी.(ईसी)	510 रूचि सौया इण्ड0 लि0, 214, तुलसीअनी चेम, तुलसीअनी चेम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, बम्बई – 452001	एन.आर.आई.	150.00 (12.00%)

मद विवरण : इंदौर (मध्य प्रदेश) में तेल रहित किया हुआ सोयाबीन का केक

कृषि जोतों की अधिकतम सीमा

2513. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कृषि जोतों की अधिकतम सीमा को पुनः निर्धारित करने पर गहन रूप से विचार कर रही हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) बेनामी कृषि जोतों के विरूद्ध क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने जाने का विचार है,

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी कृषि जोतोंकी अधिकतम सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच. पटेल) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) मार्च 1992 में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि "बेनामी एवं फर्जी मामलों के संबंध में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ।" इस मामले में उपर्युक्त कदम उठाने के लिए ये सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेजी गयीथीं ।

(घ) और (ड़) जी, हां ।

महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल राज्यों ने अध्यादेशों को लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे । महाराष्ट्र राज्य का प्रस्ताव कारपोरेट सेक्टर को बिना किसी सीमा के पट्टे पर भूमि रखने की अनुमति देने से संबंधित था, जबकि